घरेलू उत्पीड़न

किरायेदारों के लिए सुरक्षा

उन किरायेदारों के लिए विकल्प उपलब्ध हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, जो हो सकता है कि:

- घर में साथ रह रहा हो
- एक नियमित विज़िटर (आगंतुक) हो।

अपनी किरायेदारी समाप्त करना

अगर आप घरेलू उत्पीड़न का सामना करने वाले एक किराएदार हैं, तो आप साउथ ऑस्ट्रेलियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (SACAT) में आवेदन की आवश्यकता के बिना ही **अपने मकान मालिक या एजेंट के साथ सीधे और अगर आवश्यक हो तो तुरंत अपनी किरायेदारी समाप्त** कर सकते हैं।

आपको **फॉर्म 15** - घरेलू उत्पीड़न के आधार पर किरायेदार द्वारा किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस, नीचे

वे अधिकृत पेशेवर, जो रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, वे हैं:

- वकील
- पंजीकृत चिकित्सक
- सामाजिक कार्यकर्ता
- घरेलू और पारिवारिक हिंसा संबंधी सहायता सेवाओं या यौन दुर्व्यवहार संबंधी सहायता सेवाओं के लिए काम करने वाले लोग
- घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा संबंधी मामला प्रबंधक (केस मैनेजर)।

Government of South Australia
Consumer and Business Services

जुलाई 2024

दिए गए **सहायक साक्ष्य** के साथ जमा करना होगा:

- हस्तक्षेप आदेश की एक प्रति
- किसी अधिकृत पेशेवर की हस्ताक्षरित रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया हो कि उनका ऐसा क्यों मानना है कि आप घरेलू उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।

यह ज़रूरी है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी भी साक्ष्य का आपके मकान मालिक या एजेंट द्वारा सुरक्षित रूप से संग्रहण और निपटान किया जाए।

वे इस साक्ष्य का उपयोग या खुलासा आपकी सहमति के बिना केवल तभी कर सकते हैं, जब मामला पुलिस, बाल संरक्षण (चाइल्ड प्रोटेक्शन) एजेंसी को सौंपा जाना हो, या जब यह आपकी सुरक्षा के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

अगर किरायेदारों को अस्थायी आपातकालीन आवास प्राप्त करने के लिए मकान खाली करना हो, तो वे किरायेदारी समाप्त करने के लिए 7 दिन का नोटिस भी दे सकते हैं। उन्हें संकटकालीन आवास प्रदाता का नाम बताना होगा। **फॉर्म 14** - कुछ परिस्थितियों के लागू होने पर किरायेदार द्वारा किरायेदारी समाप्ति देखें।

ताले बदलना

घरेलू उत्पीड़न का सामना कर रहा किरायेदार या हस्तक्षेप आदेश द्वारा संरक्षित व्यक्ति अपने मकान मालिक/एजेंट की अनुमति के बिना किसी भी ताले या सुरक्षा उपकरण को बदल सकता है। उन्हें उत्पीड़न के आवश्यक सबूत प्रस्तुत करने होंगे तथा मकान मालिक या मकान मालिक के एजेंट को एक चाबी देनी होगी।

अगर कोई हस्तक्षेप आदेश मौजूद नहीं है, तो ताले बदलने के लिए मकान मालिक/एजेंट की सहमति आवश्यक होती है। अगर किरायेदार को लगता है कि सहमति अनुचित रूप से रोकी जा रही है, तो वे समाधान के लिए SACAT में आवेदन कर सकते हैं।

SACAT में आवेदन

- SACAT ऐसी परिस्थितियों में किरायेदारी को समाप्त कर सकता है या बदल सकता है, जहां घरेलू उत्पीड़न हुआ हो।
- एक व्यक्ति जो हस्तक्षेप आदेश द्वारा संरक्षित है और सामान्यतः किराये के परिसर में रहता है, लेकिन किरायेदारी एग्रीमेंट में सूचीबद्ध नहीं है, वह किरायेदारी एग्रीमेंट में बदलाव के लिए SACAT को आवेदन कर सकता है, ताकि वह दोषी व्यक्ति के बिना परिसर में रह सके।
- SACAT के पास इस बारे में निर्णय लेने का अधिक अधिकार है कि एक ऐसा किरायेदार जिसने घरेलू उत्पीड़न का अनुभव किया है और जो अपने सह-किरायेदार द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है, वह इस क्षति के लिए मकान मालिक/एजेंट को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए या नहीं।
- इसका अर्थ यह है कि SACAT पीड़ित के रेंटल बांड का हिस्सा रिफ़ंड कर सकता है तथा सह-किरायेदार को उनके द्वारा पहुंचाई गई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है, भले ही मकान मालिक/एजेंट को देय मुआवजे की राशि किरायेदार के बांड के हिस्से की राशि से अधिक हो।

- SACAT यह आदेश दे सकता है कि किरायेदार को दिया गया किरायेदारी समाप्ति नोटिस अवैध है, अगर किरायेदारी समाप्ति का कारण किसी ऐसे व्यक्ति का कृत्य हो, जिसने किरायेदार या किरायेदार के घरेलू सहयोगी के साथ घरेलू दुर्व्यवहार किया हो।

SACAT में आवेदन कैसे करें

अगर आप किरायेदार या सह-किरायेदार हैं, तो आप निम्न आदेश के लिए SACAT में आवेदन कर सकते हैं:

- किरायेदारी समाप्त करना
- दोषी व्यक्ति के बिना आपको प्रॉपर्टी में रहने की अनुमति देना
- प्रॉपर्टी को छोड़ना और किरायेदारी के तहत आपकी जिम्मेदारी समाप्त करना
- दोषी व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए मकान मालिक/एजेंट द्वारा रेज़िडेंशियल टैनेंसी डेटाबेस (टैनेंट 'ब्लैकलिस्ट') पर आपके विवरण को लगाने से रोकना
- बांड रिफ़ंड करने का तरीका निर्धारित करना

SACAT के लिए सभी आवेदन www.sacat.sa.gov.au पर ऑनलाइन भरे जाते हैं। आपको जो भी जानकारी देनी होगी, उसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में शामिल करना होगा।

अगर इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने में आपको समस्या हो, तो आप 1800 723 767 पर सहायता के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं। आप लेवल 4 या 7, 100 पीरी स्ट्रीट एडिलेड स्थित SACAT के कार्यालयों में भी जा सकते हैं और SACAT के किसी सार्वजनिक कियोस्क पर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतः आवेदन शुल्क लगता है, लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों के कारण इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो इसे माफ किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान आपकी सुरक्षा

SACAT में हमेशा कम से कम एक सुरक्षा गार्ड मौजूद रहता है।

गार्ड की भूमिका ट्रिब्यूनल के सदस्यों और वहां उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। गार्ड किसी भी समय सुनवाई कक्ष में आ-जा सकता है। अगर किसी विशेष सुनवाई के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, तो गार्ड कमरे में मौजूद रह सकता है।

हस्तक्षेप आदेश लागू होने की स्थिति में, SACAT आमतौर पर दो सुनवाई कक्ष आवंटित करेगा, जिसमें प्रत्येक कक्ष में एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो टेलीकांफ्रेंसिंग सुविधाओं से जुड़ा होगा। ट्रिब्यूनल सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति से साक्ष्य लेने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं।

सुनवाई में सहायता

आपकी सहायता के लिए आपके साथ कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र हो सकता है, या आप सुनवाई के दौरान अपने लिए किसी पक्षसमर्थक (एडवोकेट) की व्यवस्था कर सकते हैं (नीचे दिए गए सेवा प्रदाताओं को देखें)।

मुझे और अधिक सहायता या जानकारी कहां से मिल सकती है?

संगठन	विवरण	संपर्क	समय
आपकी सुरक्षा			
साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस www.police.sa.gov.au अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन खोजें: www.police.sa.gov.au/about-us/find-your-local-police-station	अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उचित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करें	पेट्रोल असिस्टेंस के लिए 131 444 या इमरजेंसी के लिए 000	दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन
घरेलू हिंसा संकट संबंधी लाइन	संकट संबंधी परामर्श, सुरक्षित आवास के लिए सहायता और रेफरल	1800 800 098	दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन
किरायेदारी सलाहकार और पक्षसमर्थन सेवाएँ			
उपभोक्ता एवं व्यावसायिक सेवाएँ www.sa.gov.au/tenancy/renters	किरायेदार और मकान मालिक सलाहकार सेवा	131 882	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
RentRight SA	किरायेदार संबंधी जानकारी एवं सलाह सेवा	1800 060 462	सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक
कानूनी सलाह			
महिला घरेलू हिंसा न्यायालय सहायता सेवाएँ www.victimsa.org	पारिवारिक और घरेलू उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए न्यायालय प्रणाली के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता	1800 VICTIM (1800 842 846)	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
कानूनी सेवा आयोग www.lsc.sa.gov.au	निःशुल्क कानूनी सहायता	1800 366 424	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे तक
महिला कानूनी सेवा SA www.wlssa.org.au	महिलाओं को कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाला समुदाय-आधारित कानूनी केंद्र	08 8231 8929 1800 655 037	सलाह संबंधी लाइन: सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
एबोरिजनल (आदिवासी) कानूनी अधिकार आंदोलन www.alrm.org.au	निःशुल्क कानूनी सेवाएं	8113 3777 (आपात स्थिति के लिए 24 घंटे) 1800 643 222	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
घरेलू और पारिवारिक हिंसा संबंधी सेवा प्रदाता			

यारो रेप और यौन उत्पीड़न सेवा www.yarrowplace.sa.gov.au	SA एडल्ट रेप और यौन उत्पीड़न सेवा	1800 817 421	दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन
1800RESPECT www.1800respect.org.au	राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, घरेलू पारिवारिक हिंसा परामर्श	1800 RESPECT (1800 737 732)	दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन
पीड़ित सहायता सेवा www.victimsa.org	अपराध के वयस्क पीड़ितों के लिए निःशुल्क सहायता	1800 VICTIM (1800 842 846)	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
महिलाओं के लिए कार्यालय - महिला सूचना सेवा www.wis.sa.gov.au	सूचना और रेफरल सेवा	8303 0590 1800 188 158 0401 989 860 SMS	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
बांड संबंधी सहायता			
हाउसिंग SA www.sa.gov.au/tenancy/renters	बांड संबंधी सहायता के लिए पात्रता सहित आवास संबंधी सलाह	131 299	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
SACAT पर आवेदन करना			
साउथ ऑस्ट्रेलियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल www.sacat.sa.gov.au	विवादों के समाधान के लिए आवेदन करें	1800 723 767	सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
अनुवाद और रिले सेवाएँ			
अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा www.tisnational.gov.au	अनुवाद सेवाएं	131 450	दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन
राष्ट्रीय रिले सेवा www.relayservice.gov.au	उन लोगों के लिए सेवा, जो सुन नहीं सकते हैं या जिन्हें सुनने या बोलने में समस्या है	133 677 (TTY/वॉयस कॉल) 1300 555 727 (स्पीक एंड लिसन) 0423 677 767 (SMS रिले)	दिन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन

किराये संबंधी और अधिक जानकारी

अधिक जानकारी के लिए:

- किरायेदार सूचना संबंधी गाइड में अधिकार और दायित्व देखें www.cbs.sa.gov.au/tenantinfoguide
- www.sa.gov.au/renting पर जाएं या 131 882 या www.cbs.sa.gov.au पर उपभोक्ता एवं व्यवसायिक सेवाओं से संपर्क करें।

इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी केवल सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी सलाह और/या उपयुक्त आवासीय किरायेदारी कानून के संदर्भ के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।